भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1456
12 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर अंतरण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

1456: श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नीति और कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर अंतरण हेतु उठाए गए कदमों सहित संबंधित नीतियाँ और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार खाद्यान्न की खरीद को, किसानों को अधिक पौष्टिक फसलें उत्पादित करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयास के साथ संतुलित करने का विचार रखती है, जिसमें एमएसपी समर्थन, खरीद की गारंटी या पोषक तत्वों से भरपूर फ़सलों के लिए मूल्य-श्रृंखला संबंधी पहलें शामिल हों;
(ग) क्या सरकार मौजूदा पोषण योजनाओं को पोषण सुरक्षा लक्ष्यों के साथ मजबूती से संरेखित करने के लिए समायोजित करने की योजना बना रही है; और
(घ) पोषण-संवेदी कृषि के अनुसंधान, उत्पादन और वितरण को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान निकायों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 कार्यान्वित किया है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि लोगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सके और वे गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह प्रावधान है कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और पीएम-पोषण योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्चतर पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, लक्षित आबादी के बीच एक समान पोषण के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराना है।

पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद जैसे सहायक उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेट्स खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने का निर्देश जारी किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता बढ़ाकर चावल, गेहूं, मोटे अनाज (मक्का और जौ) और पोषक अनाज (श्री अन्न) का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 इनके समान वितरण की गारंटी देता है। एनएफएसए के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से रियायती (वर्तमान में निशुल्क) खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कमजोर परिवारों को पर्याप्त भोजन और पोषण मिले। एनएफएसएनएम और एनएफएसए दोनों भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनमें से एक उत्पादन को बढ़ावा देता है, दूसरा वितरण सुनिश्चित करता है, ताकि समावेशी विकास, सततता और पोषण सुरक्षा के साथ उत्पादकता लाभ को जोड़ा जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से भारत भर के 75 गांवों तक पहुंचने के लिए एक पोषण-स्मार्ट गांव कार्यक्रम कार्यान्वित किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षण और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना; कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना; और गृहस्थ कृषि और पोषण उद्यान के माध्यम से पोषण-संवेदनशील खेती को कार्यान्वित करना था।

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) अपनी गतिविधियों के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पोषक तत्वों के प्रति संवेदनशील कृषि संसाधन और नवाचार (एनएआरआई) को कार्यान्वित कर रहे हैं। केवीके एनएआरआई के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि पोषक थाली, पोषण उद्यान, बायो-फोर्टिफाइड फसल किस्मों आदि सहित ऑन-फार्म परीक्षण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विस्तार गतिविधियाँ आयोजित करते हैं।

पिछले 11 वर्षों (2014-25) के दौरान, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खेती के लिए कुल 185 बायो-फोर्टिफाइड (प्रोटीन, जिंक, आयरन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोविटामिन-ए आदि से भरपूर) फसल किस्मों को भी विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत बायो-फोर्टिफाइड किस्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज (मक्का और जौ) और पोषक अनाज (श्री अन्न) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने मिलेट (श्री अन्न) के उच्च पोषण मूल्य को देखते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईएम) के रूप में मनाया।
